

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प.24(2)न्याय/2020

जयपुर, दिनांक 2.3.2020

::आज्ञा::


कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(51)कार्मिक/क-1/ए.सी.आर./08 दिनांक 05.06.2008 के अनुक्रम में राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए वार्षिक कार्य प्रतिवेदन भरे जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता प्राधिकारी
1	संयुक्त शासन सचिव	विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना	प्रमुख शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि
2	उप सचिव	विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना	प्रमुख शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि
3	विधि रचना अधिकारी	संयुक्त शासन सचिव/ उप सचिव, (संबंधित)	विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना	प्रमुख शासन सचिव, विधि
4	वरिष्ठ विधि रचनाकार	संयुक्त शासन सचिव/ उप सचिव, (संबंधित)	विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना	प्रमुख शासन सचिव, विधि
5	विधि रचनाकार	संयुक्त शासन सचिव/ उप सचिव, (संबंधित)	विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना	प्रमुख शासन सचिव, विधि


 2.3.2020
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचनाकार।
5. कार्मिक क-1 एसीआर सेल/कार्मिक ख-4, विभाग।
6. संबंधित अधिकारी/संबंधित उप सचिव।
7. प्रोग्रामर, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


 2.3.2020
संयुक्त शासन सचिव